

## किसानों के कल्याण में सुधार

### प्रलिस के लयि:

संसदीय स्थायी समलि, अनुदान की मांगें, न्यूनतम समर्थन मूल्य, पीएम-कसिन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कृषि श्रमकों के जीवन नरिवाह हेतु न्यूनतम मज़दूरी पर राष्ट्रीय आयोग, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वतिरण प्रणाली, नाबारड, लोकसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन के नयिम, मनरेगा, एमएस स्वामीनाथन आयोग ।

### मेन्स के लयि:

कृषि संकट: कारण, प्रभाव और आगे की राह ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समलि (PSC) ने 18वीं लोकसभा में कृषि और कसिन कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों (2024-25) पर अपनी पहली प्रस्तुत की है ।

- इसके द्वारा किसानों के कल्याण में सुधार के क्रम में कई सफारिशें की गईं ।

## PSC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमुख सफारिशें क्या हैं?

- MSP की वधिकि गारंटी:** इसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की वधिकि गारंटी प्रदान करने की सफारिश की ।
  - MSP के वधिकि कार्यानवयन हेतु एक रोडमैप वकिसलि करने के साथ यह सुनिश्चलि करने पर बल दयि कि केंद्र सरकार सुचारु परविरतन के लयि वत्तिलीय योजना बनाए ।
  - सरकार द्वारा संसद में फसल-पश्चात ऐसा वविरण प्रस्तुत कयि जा सकता है, जसिमें MSP पर फसल बेचने वाले किसानों की संख्या तथा MSP और बाज़ार मूल्य के बीच अंतर का वविरण हो ।
- धान अपशषि्ट प्रबंधन: पराली जलाने से रोकने के लयि** फसल अवशेषों के प्रबंधन एवं नपिटान के लयि किसानों को मुआवज़ा प्रदान करना चाहयि ।
  - पंजाब के उस प्रस्ताव पर वचिर कयि जाए जसिमें प्रति एकड 2,000 रुपए का बोनस (जसि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मलिकर दयि जाएगा) देने का प्रवधान है ।
- पीएम-कसिन योजना को बढ़ावा देना: पीएम-कसिन योजना** के अंतरगत वार्षक वत्तिलीय सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कयि जाए ।
  - इसे बँटाईदार किसानों एवं कृषि श्रमकों तक भी बढ़ाया जा सकता है ।
- ऋण राहत:** बढ़ते ऋण संकट के साथ आत्महत्याओं को कम करने के लयि किसानों तथा कृषि श्रमकों के लयि ऋण माफी योजना शुरू की जाए ।
  - ग्रामीण परिवारों में ऋण पर बढ़ती नरिभरता और बढ़ते बकाया ऋणों पर बारीकी से नज़र रखना ।
- बजटीय आवंटन:** इसमें कुल केंद्रीय योजना के प्रतषिठ के रूप में कृषि के लयि बजटीय आवंटन में नरितर गरिवट की ओर इशारा कयि गया है ।
  - वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक उच्च आवंटन के बावजूद, केंद्रीय योजना परवियय हसिसा वर्ष 2020-21 में 3.53% से घटकर वर्ष 2024-25 में 2.54% हो गया ।
- सार्वभौमक फसल बीमा:** समलि ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुरूप 2 एकड तक के छोटे किसानों के लयि अनविरय फसल बीमा का प्रस्ताव रखा है ।
- राष्ट्रीय कृषि मज़दूर आयोग:** कृषि मज़दूरों के अधिकारों और कल्याण के लयि न्यूनतम जीवन नरिवाह मज़दूरी हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी ।
- वभिय का नाम बदलना:** कृषि एवं कसिन कल्याण वभिय का नाम बदलकर कृषि, कसिन और खेत मज़दूर कल्याण वभिय रखना ताकि कृषि मज़दूरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रलि कयि जा सके ।

नोट: उपाध्यक्ष जगदीप धनखड ने इस दावे को खारजि कर दयि कि उच्च MSP से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उन्होंने कहा, "हम किसानों को जो भी मूल्य देंगे,

राष्ट्र को बना किसी संदेह के पाँच गुना अधिक लाभ होगा।"

## कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति

- **परिचय:** कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति संसद को कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित नीतियों, कानूनों एवं मुद्दों की समीक्षा व देख-रेख में सहायता करती है।
  - इसका गठन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331C के अंतर्गत किया गया है।
- **अधिकार क्षेत्र:** इसे भारत सरकार के नमिन्लखित मंत्रालयों/वभागों के कामकाज की जाँच और नगिरानी का कार्य सौंपा गया है:
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
    - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
    - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
  - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
    - पशुपालन और डेयरी विभाग
    - मत्स्य विभाग
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
  - सहकारिता मंत्रालय
- **संरचना:** इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं, जसिमे से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामति 21 सदस्य लोकसभा से तथा सभापति द्वारा नामति 10 राज्य सभा से होते हैं।
  - समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।
- **सदस्यों का कार्यकाल:** समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

//



# ₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

- ❖ सिफारिश:
- ❖ 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदृष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
- ❖ 22 अधिदृष्ट फसलें :  
(14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)
- ❖ 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- ❖ 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- ❖ 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- ❖ कच्चा कपास
- ❖ कच्चा जूट
- ❖ नारियल/गरी ( कोपरा )

MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदृष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है

- ❖ MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:
  - ❖ फसल की खेती में आने वाली लागत
  - ❖ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
  - ❖ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
  - ❖ अंतर-फसल मूल्य समता
  - ❖ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
  - ❖ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
  - ❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
  - ❖ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
  - ❖ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

## किसानों के कल्याण पर PSC की सफ़िरशियों का क्या महत्त्व है?

- **वत्तीय स्थरिता:** कानूनी रूप से बाध्यकारी MSP से किसानों के लिये वत्तीय स्थरिता सुनश्चिति होगी, आत्महत्याओं में कमी आएगी, बाज़ार में अस्थरिता कम होगी, ऋण का बोझ कम होगा तथा किसानों के समग्र मानसकि स्वास्थय में सुधार होगा।
- **खाद्य सुरकषा:** कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP व्यापक राष्ट्रीय **खाद्य सुरकषा** उद्देश्यों के साथ संरेखति है, जसिसे यह सुनश्चिति होता है कि खाद्यानन स्थरि मूल्यों पर उपलब्ध हों, जसिसे **सार्वजनकि वत्तरण प्रणाली को सहायता मलिती है।**
- **पर्यावरणीय स्थरिता:** पराली जलाने से नपिटने के लिये उपकरण खरीदने हेतु किसानों को मुआवज़ा प्रदान करने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - फसल अवशेष जलाने से उत्तरी भारत में शीतकाल में वायु प्रदूषण और भी बदतर हो जाता है, क्योंकि कई किसान प्रभावी फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं।
- **कल्याण में समावेशति:** कृषि विभाग का नाम बदलकर इसमें "कृषि मज़दूरों" को शामिल करना, न केवल भूमि-स्वामी किसानों बल्ककृषि में समस्त हतिधारकों के कल्याण पर व्यापक ध्यान को दर्शाता है।

## अनुदान की मांगें

- **संवैधानकि आधार:** भारतीय संवैधान के **अनुच्छेद-113** में यह प्रावधान है कि भारत की संचति नधि पर प्रभारति व्ययों को छोड़कर, **भारत की संचति नधि से व्यय अनुमानों को अनुदानों की मांग** के रूप में **लोकसभा** में प्रस्तुत कया जाना चाहयि।
- प्रभारति व्यय सूचनात्मक प्रयोजन के लिये प्रस्तुत कयि जाते हैं, लेकिन उन पर मतदान नहीं होता।
- **उद्देशय:** विभिन्न सेवाओं पर व्यय के लिये अनुदानों की मांगों को लोकसभा द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कया जाता है, जसिमें **राजसव और पुंजीगत खाते (ऋण सहति)** दोनों शामिल होते हैं।
- **प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिये एक मांग:** सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा एक मांग प्रस्तुत की जाती है।
  - हालाँकि, बड़े मंत्रालयों/विभागों के लिये एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- **भारति व्यय का समावेशन:** यदव्यय का कोई भाग संचति नधि पर 'भारति' है, तो उसे अनुदानों की मांग में स्पष्ट रूप से इटैलकि में दर्शाया जाता है।
  - हालाँकि, इस भाग पर मतदान नहीं होता है।

## किसानों को प्रभावति करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **MSP का अधूरा वादा:** किसान उत्पादन की व्यापक **लागत (C2+50%)** का 1.5 गुना वैधानकि MSP की मांग कर रहे हैं, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
  - अनुशंसति दर पर MSP की गारंटी के बिना, किसानों को वत्तीय अस्थरिता का सामना करना पड़ रहा है, जसिसे संकट और आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं।
- **उत्पादन की बढ़ती लागत:** उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों, डीजल, पानी और बज़िली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जसिसे किसानों की लाभप्रदता पर दबाव पड़ रहा है।
- **ऋण बोझ:** वर्ष 2022-23 की नाबारड ग्रामीण वत्तीय समावेशन के अनुसार ऋण लेने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतशित 2016-17 में 47.4% था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 52% हो गया।
  - इससे साथ ही ग्रामीण परिवारों की आय में 57.6% (2016-22) की वृद्धि हुई लेकिन व्यय में 69.4% की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि आय वृद्धि से अधिक व्यय में बढ़ोतरी हुई।
- **सार्वजनकि नविश में कमी:** सचिाई और बज़िली में सार्वजनकि कषेत्र के नविश में कटौती के कारण लागत में वृद्धि हुई है और परयोजनाएँ अधूरी रह गईं, जसिसे किसानों की सचिाई और वहनीय बज़िली की पहुँच में बाधा उत्पन्न हो रही है।
  - इसके अतरिकित, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से किसानों की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप पूर्ति नहीं हो पाई है तथा कई राज्यों ने इससे अलग होने का नरिणय लया है, क्योंकि कथति तौर पर यह किसानों की बजाय बीमा कम्पनियों को लाभ पहुँचाने पर केंद्रति है।
- **कृषि विकास में गरिवट:** 2023-24 में कृषि की विकास दर (अनंतमि अनुमान) घटकर 1.4% रह गई, जो गत सात वर्षों में सबसे कम है जबकि गत चार वर्षों में औसत वार्षकि विकास दर 4.18% रही थी।
- **मनरेगा के लिये अपर्याप्त धनराशि:** वर्तमान सरकार की **मनरेगा** के लिये अपर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आलोचना की गई है, जसिके कारण कार्य दविसों की संख्या घटकर मात्र 42 रह गई है।
  - कृषीतर ऋतुओं के दौरान मनरेगा कार्य की अनुपलब्धता किसानों की आजीवकि के लिये खतरा बन जाती है।
- **भूमि अधगिरहण:** "भूमिका स्वामतिव किसान के पास" से "भूमिका स्वामतिव कॉर्पोरेट के पास" की ओर स्थानांतरति होने को लेकर चति बढ़ रही है, जो **भूमि अरजन, पुनरवासन और पुनरव्यवस्थापन में उचति प्रतकिर और पारदर्शति अधकिर अधनियम, 2013** का उल्लंघन है।
  - खनन एवं अन्य उद्देश्यों के लिये जनजातीय समुदायों से बिना किसी प्रतकिर के उनकी भूमि पर अधगिरहण कया जा रहा है।

## आगे की राह

- **C2+50% पर सांवाधिकि MSP:** सरकार को **एम.एस. स्वामीनाथन आयोग** द्वारा अनुशंसति **C2+50% पर सांवाधिकि MSP** लागू करने के लिये स्पष्ट प्रतबिद्धता व्यक्त करनी चाहयि।
- **एकमुशत ऋण संबंधी छूट:** एकमुशत ऋण अधतियजन से किसानों को तत्काल राहत मलिगी, आत्महत्याओं की रोकथाम होगी तथा कृषि में पुनरनविश

को बढ़ावा मल्लगा ।

- फसल बीमा में सुधार: नयलमलतल सूखल, बाढ, बेमूसल वरूषल और ओललवृषुटल को देखते हुए, PMFBY से अलग एक वूयापक फसल बीमा योजनल होनी चलहए ।
- मनरेगल कल वसुतलर: मनरेगल के लयल वतलत पोषण में वूदुध, कलरूयदवलसूसुं की संखूयल बढलकरकम से कम 200 करनल तथल दूैनकल मजदूरी को 600 रुपए करनल, गुरलमीण परवलरूसुं को अनुपयुकुत कृषल अवधलके दूरलन आय को सुथरल बनलए रखने में मदद करेगल ।
- परगतशील करलधलन: कृषल सुधलरूसुं के लयल आवसूयक संसलधन जुटलने हेतु आयकर सुलूैब में संशुोधन कयल जलनल चलहयल ।
- कृषल नीतयूसुं की समीकषल: सरकलर को कसलनूसुं के बजलय कूसुरूपरेट हतलूसुं को प्रलथमकलतल देने वलली नीतयूसुं को संशुोधतल करनल चलहयल तथल कसलनूसुं, कृषल शूरमकलूसुं और गुरलमीण समुदलरूसुं के कलूयलण पर धूयलन कूसुरतल करनल चलहयल ।

#### दृषुटल मेनुस प्ररुशन:

कृषल कृषेतरू में समलवेशी वकलस सुनशुुचतल करनल और कसलनूसुं की आतूमहतूयलसुं की रोकथलम हेतु आवसूयक प्रमुख नीतगत परवलरूतनूसुं पर चरूचल कीजयल ।

## UPSC सवलल सेवल परीकषल, वगत वरूष के प्ररुशन

????????

प्ररुशन. नमलनलखलतल कथनूसुं पर वचलर कीजयल- (2020)

1. सभल अनलजूसुं, दललूसुं एवं तललहनूसुं कल 'नूयूनतम समरूथन मूलूय' (MSP) पर प्रलपण (खरूद) भरत के कसलल भी रलजूय/कूसुरशलसतल प्ररदेश (यू.टी.) में असीमलतल होता है
2. अनलजूसुं एवं दललूसुं कल MSP कसलल भी रलजूय/कूसुर-शलसतल प्ररदेश में उस सुतर पर नरूधलरतल नही कयल जलतल है जलस सुतर पर बलजलर मूलूय कभी नही पहुँच पलते ।

उपरूयुकुत कथनूसुं में से कूसुन-सल/से सही है/हूसुं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दूनूसुं
- (d) न तू 1, न ही 2

उतूतर: (d)

प्ररुशन. नमलनलखलतल पर वचलर कीजयल: (2018)

1. सुपलरी
2. जू
3. कूसुफी
4. रलगी
5. मूंगफली
6. तलल
7. हलदी

उपरूयुकुत में से कनलके नूयूनतम समरूथन मूलूय की घुषणल आरूथकल मलमलूसुं की कूसुनलैट समतललने की है?

- (a) 1, 2, 3 और 7
- (b) केवल 2, 4, 5 और 6
- (c) केवल 1, 3, 4, 5 और 6
- (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

उतूतर: (b)

????

प्ररुशन: धलन-गेहूसुं प्ररगलली को सफल बनलने के लयल कूसुन-से प्रमुख कलरक उतूतरदलयी है? इस सफलतल के बलवजूद, यह प्ररगलली भरत में अभशलप

कैसे बन गई है? (2020)

प्रश्न: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का नमिन आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? (2018)

प्रश्न: राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली वभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएँ कौन-कौन सी हैं? कृषिआर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न वकित्तियों के संदर्भ में आलोचनात्मक वश्लेषण कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/improving-farmers-welfare>

